

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 3643 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 14/05 /2015

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
बागेश्वर।

विषय :- देवलधार-माईथान-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव(प्रस्ताव संख्या 10903/2015)।
संदर्भ :- वन संरक्षक,उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्रांक-2567/12-1 दि. 12.05.2015।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के आन लाइन प्रस्ताव को इस कार्यालय से भी पार्ट II प्रपत्र भरकर आनलाइन किया गया है। इस कार्यालय से आन लाइन किये गये प्रस्ताव पर वन संरक्षक,उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा निम्न आपत्तियों लगाई गई है।

1. प्रस्ताव के आन लाइन प्रस्ताव में 5.4 है० आरक्षित भूमि एवं 0.891 है० भूमि सिविल सोयम सूचित की है। जबकि प्रस्ताव के हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर 0.7065 है० वन पंचायत भूमि भी प्रभावित हो रही है। कृपया पार्ट II को सही कर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्ताव के हार्ड कॉपी में 0.7065 है० वन पंचायत भूमि प्रभावित होना सूचित है परन्तु सम्बन्धित वन पंचायत/ वन पंचायतों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
3. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिलास्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना/आख्या शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा सके।

o/c

(एम०बी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2567 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 12.05.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- देवलधार - माईथान - गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव
(प्रस्ताव संख्या 10903/2015)।

संदर्भ :- आपका ऑन-लाइन प्रस्ताव दिनांक 11.05.2015।

महोदय,

संदर्भित मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आपके स्तर से जो ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसके हॉड-कॉपी के अवलोकन से निम्न कमियां संज्ञान में आयी है-

- 1 प्रस्ताव के पार्ट- II में 5.4 है० आरक्षित भूमि एवं 0.891 है० भूमि सिविल सोयम सूचित की है। जबकि प्रस्ताव के हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर 0.7065 है० वन पंचायत भूमि भी प्रभावित हो रही है। कृपया पार्ट- II को सही कर प्रस्तुत करें।
- 2 प्रस्ताव के हार्ड कॉपी में 0.7065 है० वन पंचायत भूमि प्रभावित होना सूचित है परन्तु सम्बन्धित वन पंचायत/वन पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न ^{नहीं} है।
- 3 वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न तो जिलाधिकारी और न ही जिलास्तरीय समिति की बैठक का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

कृपया उक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करें।

भवदीय

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।